

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह पुलिस अनुभाग-06  
संख्या:-1046पी/छ:-पु-6-17-100(9)/2014  
लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर, 2017  
कार्यालय-ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या: सी0एम0-134पी/छ:- पु0-6-14-100(9)/2014, दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश संख्या-सी0एम0-102पी/छ:-पु0-6-16-100(9)/2014, दिनांक 20.12.2016 में मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित घटनाओं के उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि अनुमन्य है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश दिनांक 20.12.2016 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1	2	3		4	
क्र० सं०	घटना	पूर्व में अनुमन्य धनराशि		वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि	
		मृतक की आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता-पिता को अहेतुक धनराशि	मृतक के आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता-पिता को अहेतुक धनराशि
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है।	20.00 लाख	5.00 लाख	20.00 लाख	5.00 लाख
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

	घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर				
(घ)	अतिदुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

3- यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधित दरें केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के आश्रितों/माता-पिता को देय अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में ही लागू होगी, सेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के सम्बन्ध में उक्त संशोधित दरें लागू नहीं होगी।


4- उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अरविन्द कुमार  
प्रमुख सचिव

संख्या-1046(1)पी/छ:-पु-6-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
- 8- गृह(पुलिस) अनुभाग-1/2/7/10
- 9- गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
( महेन्द्र सिंह )  
अनुसचिव